निर्णय ब–इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

प्रकरण संख्या 81/2025 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री अशोक कुमार योगी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम ।

प्रार्थी

बनाम

सुनील गौतम पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी सी–3, बाढ करोल, जगतपुर,जयपुर। मालिक पण्डित कचोरी शोप नम्बर 15, तपोवन विहार, सी बी आई फाटक, जयपुर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 70.200 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ व 01 लोहे की भट्टी, 01रबड पाईप मय रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री देवकरण अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 03.03.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को घरेलू गैस सिलण्डरों का बिना अनुज्ञापत्र के अवैद्य भण्डारण एवं कय–विकय करने की सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशन पर बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ के अप्रार्थी सुनील गौतम सी–3, बाढ करोल, पण्डित कचोरी शोप नम्बर 15, तपोवन विहार, सी॰बी॰आई॰ फाटक, जयपुर के मालिक श्री सुनील गौतम की उपस्थिति में जांच की गई। जांच करने पर मकान में 08 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 70.200 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ व 01 लोहे की भट्टी, 01 रबड पाईप मौके पर पाये गये, जिनके वैद्य दस्तावेज/अनुज्ञापत्र मांगने पर उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य भण्डारण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किये जाने से जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 70.200 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ व 01 लोहे की भट्टी, 01 रबड पाईप को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 01.10.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स मय

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

एल॰पी॰जी॰ व अन्य सामान का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवकरण उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच मकान में 08 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 70.200 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰व 01 लोहे की भट्टी, 01 रबड पाईप मौके पर पाये गये। मौके पर अप्रार्थीगण ने पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स के बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये एवं ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य भण्डारण पाये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस परिसर में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य रूप से क्रय विक्रय एवं भण्डारण का कार्य किया जाता है जो कि द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन है। इससे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की मनः स्थिति सिद्व होती है। अतः जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि शोप नम्बर 15, तपोवन विहार सी बी आई फाटक जगतपुरा जयपुर में अप्रार्थी की पण्डित कचोरी के नाम से दुकान है। जिस पर प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिचित अखिलेश, अजय, विष्णु, लक्ष्मीनारायण व रामकिशोर के घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुये थे, जिनको रसद विभाग द्वारा गलत तरीके से जब्त कर लिया गया है। जब्त सिलेण्डरों की डायरी अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अप्रार्थी जब्त सिलेण्डरों को वाणिज्यिक उपयोग में नहीं ले रहा था ! इसलिए जब्त किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर कनेक्शनधारकों को वापस लौटाये जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 20.09.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अप्रार्थी के कब्जे से 08 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 कि॰ग्रा॰ मय 70.200 कि॰ग्रा॰ एल॰पी॰जी॰ व 01 लोहे की भट्टी, 01 रबड पाईप मौके पर पाये गये है। जब्त सिलेण्डर स्वयं के एवं परिचित व्यक्तियों के होना बताया है, जिनकी गैस डायरी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। चूंकि उक्त सिलेण्डर्स अप्रार्थी की दुकान पर पाये गये है जो सुरक्षा की दृष्टी से उचित नहीं है, किन्तु उपभोक्ताओं द्वारा बुकिंग के माध्यम से विधिवत प्राप्त किये गये है। इसलिए न्यायहित में जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स उपभोक्ताओं के पक्ष में रिलीज किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त गैस सिलेण्डर्स उपभोक्ताओं को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर